Rule 104 : Form and manner of application to the Authority for Advance Ruling

(1) An application for obtaining an advance ruling under sub-section (1) of section 97 shall be made on the common portal in **FORM GST ARA-01** and shall be accompanied by a fee of five thousand rupees, to be deposited in the manner specified in section 49.

(2) The application referred to in sub-rule (1), the verification contained therein and all relevant documents accompanying such application shall be signed in the manner specified in rule 26.

नियम 104 : अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण को आवेदन करने का प्रारूप और रीति

(1) धारा 97 की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी एआरए–1** में किया जाएगा और उसके साथ पांच हजार रूपए की फीस संलग्न होगी जो धारा 49 में विनिर्दिष्ट रीति में जमा की जाएगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन, उसमें अंतर्विष्ट सत्यापन और ऐसे आवेदन के साथ संलग्न सभी सुसंगत दस्तावेज नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति में हस्ताक्षरित होंगे।